

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 295, दिनांक 04-10-2024

कूटरचित वर्चुअल कॉइन (रुबी कॉइन) बनाकर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रूपयों को निश्चित लाभ दिलाने का झाँसा देकर इन्वेस्टमेंट कराकर पूँजी को क्रिप्टो करंसी में बदलकर विदेश भागने की फिराक में जाने वाले गिरोह के सरगना समीर केशरी को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के साथ संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 04-10-2024 को एसटीएफ उ0प्र0 एवं पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ के संयुक्त अभियान में फर्जी वर्चुअल कॉइन (रुबी कॉइन) में निवेश कराकर फंड जुटाने एवं फर्जी तरीके से विभिन्न वर्ल्डवाइड वर्चुअल करंसी के एक्सचेंजों के फर्जी लाइसेंस दिखाकर देश व प्रदेश के विभिन्न स्थानों के हजारों निवेशकों से करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी कर इन्वेस्टर्स के पैसे हड़पने वाले गैंग के सरगना समीर केशरी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

1. समीर केशरी पुत्र दीपनारायण केसरी हालपता— म0नं0 2 प्लाट सी, भाई-भाई रोड, कुतुबबिहार, गोयला डेरी, जिला द्वारिका, दिल्ली ।
मूल पता— गएसपुर कलता पाडा, थाना इंग्लिश बाजार, जिला मालदा पश्चिम बंगाल ।
किराये का पता म0सं0 391 / । सेक्टर ए4 अंसल एपीआई थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ । उम्र 46 वर्ष ।

बरामदगी:—

1. 01 अदद लैपटॉप Apple Mac BOOK
2. 01 अदद आईफोन
3. 01 अदद पासपोर्ट
4. 01 अदद पैन कार्ड
5. 01 अदद आधार कार्ड
6. 15 अदद कूपन कार्ड
- 7- 04 अदद लेटर हेड RUBY THANI PROJECT MANAGEMENT SERVICES CO-
8. 01 अदद विजिटिंग कार्ड रुबी थानी समीर केशरी

गिरफ्तारी का स्थान व समय—

गोल चौराहे से 50 मीटर पहले निकट एचसीएल आईटी सिटी, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ कमिश्नरेट । समय 14:45 बजे ।

फर्जी वर्चुअल कॉइन (रुबी कॉइन) में निवेश कराकर फंड जुटाना एवं फर्जी तरीके से विभिन्न वर्ल्डवाइड वर्चुअल करंसी के एक्सचेंजों के फर्जी लाइसेंस दिखाकर देश व प्रदेश के

विभिन्न स्थानों के हजारों निवेशकों से लगभग 150 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी कर इन्वेस्टर्स के पैसे हडपने वाले गैंग के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन एवं जमीनी सूचना विकसित की गयी तो ज्ञात हुआ कि समीर केशरी पुत्र दीपनारायण केसरी हालपता— म0नं0 2 प्लाट सी भाई भाई रोड कुतुबबिहार गोयला डेरी, जिला द्वारिका दिल्ली। मूल पता— गएसपुर कलता पाडा थाना इंग्लिश बाजार जिला मालदा पश्चिम बंगाल। किराये का पता म0सं0 391 सेक्टर ए4 अंसल एपीआई थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ अपने सहयोगियों लोगों के साथ मिलकर कूटरचित वर्चुअल कॉइन (रूबी कॉइन) बनाकर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशकों की गाढी कमाई के करोड़ों रूपयों को निश्चित लाभ दिलाने का झाँसा देकर इन्वेस्टमेंट कराकर पूँजी को क्रिप्टो करंसी में बदलकर विदेश भागने की फिराक में है।

उपरोक्त सूचना पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक टीम उ0नि0 तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में, उ0नि0 हरीश सिंह चौहान, हे0का0 विनोद यादव, हे0का0 पवन सिंह बिसेन, हे0का0 कृष्णकांत शुक्ला, हे0का0 सरताज, हे0का0 सुनील यादव, हे0का0 आलोक रंजन, कां0 रामसिंह मय सरकारी वाहन चालक कां0 शिववीर की गठित की गयी।

आज दिनांक 04-10-24 को पूर्व से गठित टीम थाना क्षेत्र सुशांत गोल्फ सिटी में मामूर थी कि मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि रूबी कॉइन का सीईओ समीर केशरी जो मु0अ0सं0 425/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि 66 आईटी एक्ट सुशांत गोल्फ सिटी में वांछित अभियुक्त है, आज लखनऊ आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर संपर्क किया गया जहाँ से निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0यू0टी0 आशीष व कां0 धर्मेन्द्र सिंह अहिमामऊ अण्डरपास पर आये, जहां पर उन्हें सूचना से अवगत कराया गया। कुछ देर इंतज़ार करने पर एक व्यक्ति HCL की तरफ से गोल चौराहे पर आता दिखायी दिया, जिसे मुखबिर की निशादेही पर एक बारगी दबिश देकर पकड लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि समीर कोलकाता में एंजेला एग्रोटेक कम्पनी में काम करता था जहाँ पर सेल्स स्किल अच्छी होने के कारण उसे जल्द ही कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर में शामिल किया गया, जहाँ पर वर्ष 2016 में फर्जीवाड़ा होने पर उसे जनपद दुर्ग मध्यप्रदेश से जेल गया था। जेल से छूटने के बाद समीर रायपुर छतीसगढ़ में रहने लगा, जहाँ पर उसने रूबी कॉइन नाम की वर्चुअल कॉइन की शुरुआत की, जिसका धीरे धीरे इसने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। धीरे-धीरे लोग उसके लोकलुभावन वादों में फंसते चले गये और कंपनी व उसकी वर्थ बढ़ती चली गयी। समीर व उसके साथी रूबी कॉइन में लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराते थे। लोगों को लोक लुभावन वादे देना कि यह एक सुरक्षित निवेश है, जिसमें निवेशक की मूल पूँजी हमेशा सुरक्षित रहेगी और यदि निवेशक अपना पैसा वापिस लेना चाहे तो 03 वर्ष के बाद पूर्व सूचना देकर अपनी कॉइन के बदले पैसा अपने बैंक खाते में वापिस ले सकता है। निवेशक की पूरी निवेश पूँजी के उपयोग करने का अधिकार समीर के पास रहेगा और निवेशक को निवेशित पूँजी के बदले विभिन्न पर्यटन स्थलों का टूर पैकेज दिया जाता रहेगा।

निवेशकों को किसी प्रकार का शक न हो इसके लिए अपनी कॉइन को स्वयं द्वारा बनाये गये कॉइन एक्सचेंज **CTS cola** जिसका ऑफिस दुबई में होना बताया गया परन्तु यह कॉइन

की पूरी हैंडलिंग लोकल सर्वर पर की जाती थी, जिसका एडमिन राईट समीर केशरी के पास था। रूबी कॉइन की साईट के माध्यम से निवेशकों की डिटेल्स लेकर उनका खाता खोला जाता था, जिस पर निवेशकों की निवेशित रकम के बदले रूबी कॉइन को अपने अनुसार दिखाया जाता था। खोले गये फर्जी खाता नम्बरों को साईट के माध्यम से निवेशित धनराशि का लागू दिखाने के लिए किया जाता है परन्तु बैकएण्ड पर कोई इस तरह के एक्सचेंज सिस्टम को न संचालित करते हुए केवल निवेशकों को रूबी कॉइन का छद्म बैलेंस दिखाने एवं कुछ समय बाद लागू को खाते में न दिखाने हुए उसे प्रिंसिपल अकाउंट में ऐड करना बताया जाता। बाद में अपने ही अंतर्गत सर्वर व साईट का एडमिन राईट होने से उसे नियंत्रित करते हुए जिन खातों की देनदारी अधिक हो जाती है उसे डीएक्टिवेट करके निवेशकों को झूठी सूचना देते रहना तथा पैसा मांगने पर सर्वर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, आदि बहाने बताकर भुगतान को लंबित रखता था थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर मुकदमा पंजीकृत हो जाने के कारण पूरे पैसे को वर्चुअल कॉइन में कन्वर्ट कर दुबई भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में पूर्व से पंजीकृत मुकदमें में दाखिलकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।